



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 आश्विन 1944 (श0)
(सं0 पटना 803) पटना, शुक्रवार, 30 सितम्बर 2022

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना
30 सितम्बर 2022

सं० सं0का0-1/वि0मं0(सदस्यों का वेतन एवं भत्ते)05-06/2017-776—बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) अधिनियम, 2006 (अधिनियम सं०-16, 2006) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) नियमावली, 2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं—

बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2022

- संक्षिप्त नाम और आरंभ।—
 - यह नियमावली बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2022 कही जा सकेगी।
 - यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।
- उक्त नियमावली, 2006 का नियम 15 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

“प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए 30000 (तीस हजार) यूनिट तक के विद्युत विपत्र का भुगतान, यथास्थिति, बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् सचिवालय के द्वारा मात्र पटना निवास के लिये किया जायेगा। उक्त सीमा से अधिक विद्युत की खपत होने पर उसका भुगतान सदस्यों को स्वयं करना होगा किन्तु जलापूर्ति के लिए कोई कर उन्हें भुगतान नहीं करना पड़ेगा।”

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ब्रजेश मेहरोत्रा,
अपर मुख्य सचिव।

30 सितम्बर 2022

सं० सं०का०-01/वि०मं०(सदस्यों का वेतन एवं भत्ते)05-06/2017-777—संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-776 दिनांक 30.09.2022 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद, बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त नियमावली का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ब्रजेश मेहरोत्रा,
अपर मुख्य सचिव।

The 30th September 2022

P.A.-1/V.M.(Salary & Allowances of Members)-05-06/2017-776—In exercise of the powers conferred by the section 8 of the Bihar Legislature (Salary, Allowances and Pension of Members) Act, 2006 (Act No. 16, 2006) (As amended from time to time), the Governor of Bihar hereby makes the following Amendments in Bihar Legislature (Pay, Allowances and Pension of Members) Rules, 2006 (as amended from time to time) :-

**Bihar Legislature (Pay, Allowances and Pension of Members)
(Amendment) Rules, 2022**

1. Short title and commencement.—

- (1) These Rules may be called the Bihar Legislature (Pay, Allowances and Pension of Members) (Amendment) Rules, 2022.
- (2) They shall come into force from the date of its publication in the official gazette.

2. Rule 15 of the said Rules, 2006 shall be substituted by the following:-

"The payment of Electricity bill up to 30000 (Thirty thousand) unit for every financial year shall be made to every member by the Bihar Legislative Assembly/Bihar Legislative Council, as the case may be, but only for the residence in Patna. Where the consumption of electricity exceeds the said limit, that will be paid by the member himself/herself, however he/she shall not have to pay any water tax for water supply"

By order of the Governor of Bihar,
BRIJESH MEHROTRA,
Additional Chief Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 803-571+1000-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>